THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) No, Sir. The report is still under consideration of the Government.

(b) Does not arise.

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा

189. श्री रणजीत सिंह :
सरदार जगजीत सिंह करोड़ा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि के बड़े भाग पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अगस्त, 1991 तक दिल्ली में में कुल कितनी भूमि अधिगृहीत की है और क्या यह भूमि खाली पड़ी हुई है;

(ग) कुल अधिगृहीत भूमि में से कितनी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है ;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए अब तक कोई कदम उठाए हैं; यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है और उनको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों का कब्जा दिया जाना

190. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान नीलामी के माध्यम से विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं को अनेक भूखंडों की बिक्री की है ;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की गई नीलामी में भखंड खरीदे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन भूखंडों को इन भूखडों की निर्धारित कीमत प्राप्त किए बिना ही उन संस्थाओं को सौंप दिया गया है और क्या इन संस्थाओं ने इन भूखंडों पर भवन भी बना लिए हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन भूखण्डों की कीमत प्राप्त किए बिना उनको इन संस्थाओं को सौंप दिया दिए जाने का क्या कारण है ; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो भूखण्ड सौंपे जाने में अन्तग्रस्त थे और उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जो इन संस्थाओं से धनराशि वसूल करने में नरमी बरतने के लिए जिम्मेदार हैं तथा उस समय इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने का क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) उन व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची जिन्होंने वर्ष 1982 1983 तथा 1984 के दौरान नीलामी में प्लाट खरीदे थे । संलग्न अनुलग्नक में दी गई है । (देखिए परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 3)

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ नीलामी के खरीददारों को जिन्होंने भुगतान की शर्तों में छूट देने के लिए अभ्यावेदन दिया था, एक बार की छूट दी गई थी । दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित मजुल भूमि का क्रय-विक्रय नियमावली के नियम 45 के अधीन भारत-सरकार ने दिल्ली विकास